## लिपिकीय संवर्ग के पदों से अन्य संवर्ग के पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार।

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 18 मार्च, 2011 के अनुसार लिपिकीय संवर्ग के पदों से सेवा नियमों में विद्यमान अन्य संवर्गीय पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। कतिपय सेवा संगठनों एवं विभागों द्वारा उक्त व्यवस्था को समाप्त करते हुए सेवा नियमावलियों में विद्यमान व्यवस्था को यथावत बनाये रखने की मांग की गयी है। सेवा संगठनों की उक्त मांग पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 11 अक्टूबर, 2011 में यह निर्णय लिया गया है कि संदर्भित मांग के सम्बन्ध में पुनर्विचार हेतु प्रकरण वेतन समिति को संदर्भित किया जाए। उक्त के क्रम में वित्त विभाग के अर्धशासकीय पत्र संख्या–वे0आ0–2–1706/दस–2010 दिनांक 08 नवम्बर, 2011 द्वारा वेतन समिति को विशिष्ट प्रकरण के रूप में संदर्भित किया गया।

2– उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के मांग पत्र दिनांक 20–9–2011 में यह मांग की गयी है कि राज्य सरकार के निर्णयों से लिपिकीय संवर्ग को उनके विभाग के अन्य संवर्गों में प्राप्त प्रोन्नति के कोटे को समाप्त कर दिया गया है। इसे तत्काल बहाल किया जाए। उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति की उक्त मांग के सम्बन्ध में शासन स्तर पर बनी प्रारम्भिक सहमति के उपरान्त इसे वेतन समिति को पुनर्विचार हेतु संदर्भित किया गया।

3– वेतन समिति द्वारा कुछ विभागों के विशिष्ट संवर्गों के मामले में विचार करते समय यह पाया था कि उक्त संवर्ग में लिपिकीय संवर्ग/आशुलिपिक संवर्ग से पदोन्नति की व्यवस्था विद्यमान थी। उक्त विशिष्ट संवर्ग के पदों के कार्य एवं उत्तरदायित्व इस प्रकार के थे कि समिति को यह महसूस हुआ कि इन पदों के कार्य एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन में लिपिकीय संवर्ग/आशुलिपिक संवर्ग से पदोन्नति प्राप्त कर्मचारी पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होते। उदाहरणार्थ सहायक निबन्धक के पद पर सीधी भर्ती की अर्हता विधि स्नातक होती है एवं पोषक पद के लिपिकीय संवर्ग/आशुलिपिक संवर्ग के पदों की सीधी भर्ती की अर्हता इण्टरमीडिएट ही होती है। इसी प्रकार सांख्यकीय संवर्ग में प्रथम स्तर के पद की सीधी भर्ती की अर्हता गणित/सांख्यकीय/अर्थशास्त्र/कॉमर्स में स्नातकोत्तर उपाधि निर्धारित है एवं पोषक पदों के लिपिकीय संवर्ग की शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट ही होती है। वेतन समिति (2008) द्वारा लिपिकीय संवर्ग एवं आशुलिपिक संवर्ग के ढांचें में उपलब्ध स्तरों को देखते हुए इन संवर्गों में अपने संवर्ग के भीतर ही पदोन्नति के पर्याप्त अवसर विद्यमान होने की स्थिति

को देखते हुए अन्य संवर्गों में लिपिकीय संवर्ग एवं आशुलिपिक संवर्ग से पदोन्नति की व्यवस्था को समाप्त करने की संस्तुति समिति द्वारा की गयी थी।

4— शासन स्तर से पुनर्विचार हेतु प्राप्त विशिष्ट संवर्ग पर सम्यक विचारोपरान्त समिति ने यह पाया कि विभिन्न विभागों में लिपिकीय/आशुलिपिक संवर्ग से अन्य संवर्गों में पदोन्नति की पूर्व से विद्यमान व्यवस्था को समाप्त किये जाने की संस्तुति सुविचारित थी। अतः समिति पूर्व में की गयी संस्तुतियों में पुनर्विचार के उपरान्त संशोधन किये जाने का औचित्य नहीं पाती है।

5— समिति की संस्तुति

सम्यक विचारोपरान्त समिति की संस्तुति है कि लिपिकीय संवर्ग एवं आशुलिपिक संवर्ग से अन्य संवर्गों में पदोन्नति की पूर्व व्यवस्था को समाप्त किये जाने विषयक वेतन समिति की पूर्व संस्तुतियों को यथावत माना जाए।

(अजय अग्रवाल)
सदस्य सचिव।

(संजीव मित्तल)
सदस्य।

(आलोक रंजन)
सदस्य।

(एस0ए0टी0 रिज़वी)
अध्यक्ष।

लखनऊ
नवम्बर , 2011